रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261944
CG-DL-E-25032025-261944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 158] | नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/चैत्र 4, 1947 |
| No. 158] | NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/CHAITRA 4, 1947 |


## वित्त मंत्रालय
## (राजस्व विभाग)
## (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

**सं. 21/2025**

**आय-कर**

**सा.का.नि. 193(अ).—**केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गख की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,--

(क) नियम 10नक के खंड (ख) में,--

I. उपखंड (iii) में अंत में ''या'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

II. उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात:--

''(iv) इलैक्ट्रिक या हाईब्रिड इलैक्ट्रिक यानों में उपयोग के लिए लिथियम ऑयन बैटरी'';

(ख) नियम 10नघ में,

I. उपनियम (2क) की सारणी में,--

(अ) क्रम संख्यांक 1 के स्तंभ संख्या (3) के खंड (ii) में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा ;

(आ) क्रम संख्यांक 2 के स्तंभ संख्या (3) के खंड (ii) में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा;

(इ) क्रम संख्यांक 3 के स्तंभ संख्या (3) के आरंभिक भाग में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा;

(ई) क्रम संख्यांक 7 के स्तंभ संख्या (3) में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा;

(उ) क्रम संख्यांक 8 के स्तंभ संख्या (3) में, ''दो'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा;

II. उपनियम (3ख) में, ''निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ग) नियम 10नङ के उपनियम (2)के चौथे परंतुक में 'संश्रय के' शब्दों के पश्चात् ''एक निर्धारण वर्ष के लिए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. 370142/6/2025-टीपीएल]

ठाकुर सिंह मपवाल, निर्देशक

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, साधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145(अ) तारीख 24 फरवरी, 2025 द्वारा किए गए ।